an>

Title: Need to ensure submission of Parliamentary Papers in electronic format and to acknowledge letters of Members of Parliament within 15 days.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैं दो बिंदुओं पर बात रखना चाहता था लेकिन एक का समाधान लगभग हो गया है कि पेपरलैस जो हमारी सरकार का डिजिटाइजेशन का प्रयास है, वह होने जा रहा है। दूसरी बात है कि इस साल जनवरी से लेकर अभी तक मैं 1940 पत्र लिख चुका हूं। वे इलैक्टोरेट हैं और पब्लिक ग्रिवैंसेज से संबंधित हैं। ज्यादातर पत्रों का रिप्लाई नहीं आता और तीन-चार तरह की परिस्थिति पैदा होती है। एक, माननीय सदस्य पत्र लिखते हैं लेकिन ज्यादातर पत्रों का रिप्लाई नहीं आता। दूसरे में यह बात आती है कि आपका पत्र मिल गया। तीसरे में आता है कि I am having the matter looked at. चौथे में आता है कि that matter has been considered, but it cannot be considered. ...(व्यवधान) I myself write. आज हमारी पोजिशन इतनी खराब हो गई है कि मैं जब एम.पी. नहीं था और पत्र लिखता था तो उस समय ज्यादा पॉज़िटिव रिज़ल्ट आते थे। अभी 500-600 रिप्लाई आए हुए हैं, लेकिन 4-5 भी पॉज़िटिव नहीं हैं, सब में नैगेटिव है। यह ब्यूरोक्रेसी का काम है कि इतना लाइटली लिया जाता है।

मुझे प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य याद है कि हम आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं और अफसर मजा कर रहे हैं। बात वही है कि अफसर मजा कर रहे हैं। कोई मकैनिज़्म डैवलप हो, जैसे हम एक लैटर लिखते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप थोड़े शब्दों में बात कीजिए कि लैटर का जवाब नहीं आता।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. उदित राज : मैडम, हम लैटर लिखते हैं तो उसकी एक इन्वैंट्री होनी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, मत चिल्लाइए। This is not the way.

â€¦(व्यवधान)

डॉ. उदित राज : मैडम, मैं कमिश्नर रहा हूं। मेरी वाइफ भी कमिश्नर हैं। हमें ब्यूरोक्रेसी से पर्सनली तकलीफ नहीं है, लेकिन एक माननीय सदस्य कार्यकर्ता का जवाबदेही है।...(व्यवधान) इसका कोई न कोई फैसला लिया जाना चाहिए। कोई मकैनिज़्म होना चाहिए या इंटरनैट सिस्टम डैवलप किया जाए जिसे मंत्री जी खुद देखें कि यह लैटर आया है, इसका जवाब गया है या नहीं। कोई न कोई मकैनिज़्म होना चाहिए, otherwise, we have become powerless. यह आज की बात नहीं है बल्कि एक दशक से चला आ रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आपने अपनी बात बता दी है।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. उदित राज : मैं 1996 में एडिशनल कमिश्नर (इनकम टैक्स) था। मेरे खिलाफ फर्जी माननीय सदस्य का फोर्ज्ड लैटर गया। मैं ट्रांसफर हो गया तो सोचा कि मैं ट्रांसफर क्यों हो गया। बाद में पता लगा कि एक माननीय सदस्य, किसी ने फोर्ज्ड लैटर लिखा था। मैं उसके आधार पर ट्रांसफर हो गया जबकि सीनियर लैवल पर था। आज की परिस्थिति है कि क्लर्क का भी कुछ नहीं हो पा रहा है। यह फर्क है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री शरद त्रिपाठी और

कुंवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, there is a Protocol Committee of the Parliament which goes into this type of complaints. If there is some complaint from respected Members, that complaint can come.

HON. SPEAKER: He should give it. He knows it very well. वे पहले भी दे चुके हैं। I know it.